सं. 10/37/2006-एससी
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
(राज्य प्रकोष्ठ)
***

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांकः

कार्यालय ज्ञापन

इस विभाग के दिनांक 06.07.2011 के समसंख्यक का.ज्ञा. के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि एएसआईडीई स्कीम के कार्यान्वयन हेतु वाणिज्य सचिव ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति को निम्नानुसार अनुमोदित किया है : -

क्र. सं.	संयुक्त सचिव/ सीईओ/एडीजी	राज्य (पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा)	राज्य (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	संघ शासित क्षेत्र
1	श्री अनूप वधावन	1. उत्तर प्रदेश 2. उत्तराखण्ड		
2	श्री अमर सिन्हा	1. बिहार	2. नागालैण्ड	
3	श्री ए के त्रिपाठी	1. उडीसा 2. पुड्डूचेरी	3. सिक्किम	
4	श्रीमती विजयलक्ष्मी जोशी	1. गुजरात		2. दादर एवं नागर हवेली 3. दमन एवं दीव
5	श्री अरविन्द मेहता	1. हिमाचल प्रदेश 2. मध्य प्रदेश	3. मेघालय	
6	श्री सुमंत चौधरी	1. झारखण्ड 2. प. बंगाल	3. मिजोरम	
7	श्री डी. एस. ढेसी	1. हरियाणा 2. पंजाब		3. चंडीगढ़
8	श्री जे. एस. दीपक	1. कर्नाटक 2. गोवा	3. त्रिपुरा	
9	श्री सिद्धार्थ	1. तमिलनाडु 2. राजस्थान		3. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह
10	श्री जे. के. दादू	1. केरल 2. दिल्ली 3. छत्तीसगढ़		4. लक्षद्वीप

11	श्री मुकेश भटनागर	1. महाराष्ट्र		
12	श्री रवि कपूर	1. आंध्र प्रदेश	2. असम 3. मणिपुर	
13	श्री वी. के. गुप्ता		1. अरूणाचल प्रदेश	
14	श्री वी. के. श्रीवास्तव	1. जम्मू एवं कश्मीर		

सं. 10/37/2006-एससी
दिनांकः 24 नवम्बर, 2011

2. उपर्युक्त नोडल अधिकारी एएसआईडीई स्कीम की निगरानी निम्नानुसार करेंगे : -

क) मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित राज्यस्तरीय निर्यात संवर्धन समिति (एसएलईपीसी) की बैठक में भाग लेना ।

ख) एएसआईडीई स्कीम की प्रगति पर विचार-विमर्श हेतु नोडल एजेंसियों/राज्य के सचिव (उद्योग) के साथ बैठक आयोजित करना ।

(ग) एएसआईडीई स्कीम के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं का वास्तविक सत्यापन ।

3. एएसआईडीई स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं की संस्वीकृति, समीक्षा एवं निगरानी हेतु प्रत्येक राज्य से एसएलईपीसी की वर्ष के दौरान दो बैठकें आयोजित करने की पअक्षा की जाती है । अधिकारियों का यह दायित्व है कि वह प्रत्येक राज्य में वर्ष में कम से कम एक बैठक में भाग लें । अपरिहार्य परिस्थितियों में (दूसरी बैठक हेतु) संबंधित संयुक्त सचिव संबंधित प्रभाग के निदेशक/उप सचिव को बैठक में भाग लेने हेतु भेज सकते हैं । यदि प्रभारी अधिकारी का प्रतिनिधि बैठक में भाग लेने में असमर्थ है, तो इसकी अग्रिम सूचना राज्य प्रकोष्ठ को दी जानी चाहिए ।

4. इस इस प्रभाग के दिनांक 6 जुलाई, 2011 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अधिक्रमण में जारी किया जाता है ।

(डॉ. माला आयंगार)
निदेशक

1. वाणिज्य विभाग के सभी संयुक्त सचिव
2. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य प्रशासक
3. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमख सचिवों/नोडल एजेन्सियों को सूचनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि अपने राज्य के नोडल अधिकारी को एसएलईपीसी की बैठक की तारीख एवं कार्यसूची अग्रिम तौर पर भिजवा दी जाए ।

प्रतिलिपि : वाणिज्य सचिव के प्रधान निजी सचिव, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के प्रधान निजी सचिव, विशेष सचिव (पीकेसी) के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।